कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ 15 ( ) 2016–17/गोप्र/प्रमुवसं/ दिनांकः– 2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के नियम 36 (ख) के अनुसार वर्ष 2016–17 में वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर पदोन्नति दिए जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 8 फरवरी 2017 को आयोजित हुई। जिसमें श्री दुर्गा शंकर जंगम पुत्र लक्ष्मी नारायण वनपाल को उप वन संरक्षक, बांरा के पत्रांक 5711 दिनांक 17.5.2003 से आरोप पत्र जारी किए जाने एवं तत्सममय जांच विचाराधीन होने के कारण अभिशंषा बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

उक्त प्रकरण में उप वन संरक्षक, बांरा के आदेश क्रमांक 1058–61 दिनांक 31.01..2019 द्वारा श्री दुर्गा शंकर जंगम वनपाल को एक वेतन वृद्धि संचित प्रभाव से रोके जाने एवं राशि 2500/– मय ब्याज के एक मुश्त जमा कराने के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसकी पालना में श्री दुर्गा शंकर जगम वनपाल द्वारा राशि रूपये 11050/– (मूल रू. 2500+ ब्याज 8550/– रू) जर्ये चालान दिनांक 21.9.2019 को जमा करवाए जाने के फलस्वरूप विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा बन्द लिफाफे में रखी गई सिफारिश को दिनांक 4.11.2019 को खोला गया।

समिति द्वारा रिकार्ड के अवलोकन पश्चात कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4 (1) कार्मिक/क–2/अ.प्र./2006 दिनांक 5.10.2018 के क्रम में श्री दुर्गा शंकर जंगम के उक्त आरोप पत्र दिनांक 17.5.2003 के होने के कारण यह निर्णय लिया कि उक्त दण्ड का प्रभाव पदोन्नति वर्ष 2016–17 में नहीं पडेगा । अतः श्री जंगम को वर्ष 2016–17 में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने पर इन्हे क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के वेतनमान एल–10 (33800–106700) में पदोन्नति पश्चात नवीन पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण अनुसार किए जाने के आदेश प्रचलित किए जाते हैः–

क्र. स.	नाम कर्मचारी श्री	पिता का नाम श्री	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	नवीन पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	दुर्गा शंकर जंगम	लक्ष्मी नारायण	उप वन संरक्षक, बांरा	रेंज अकलेरा, उप वन संरक्षक, झालावाड

श्री दुर्गा शंकर जंगम, वनपाल द्वारा **दिनांक 7.8.2020** तक क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति नहीं देने पर यह मान लिया जावेगा की ये पदोन्नति के इच्छुक नहीं है एवं इस अवसर को फोरगो (Forgo) मानते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(जी.वी.रेड्डी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ)
राज.जयपुर

क्रमांकः–एफ 15 ( ) 2016–17/गोप्र/प्रमुवसं/5393-5399 दिनांकः– 31.07.2020
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, बारा को प्रेंषित कर लेख है कि श्री दुर्गा शंकर जंगम वनपाल को तत्काल भार मुक्त कर नवीन पदस्थापन कार्यालय में **दिनांक** 7.8.2020 तक उपस्थिति देने हेतु निर्देशत करें।
3. उप वन संरक्षक, झालावाड।
4. प्रतिलिपि कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभाग की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. श्री दुर्गा शंकर जंगम, वनपाल द्वारा कार्यालय उप वन संरक्षक, बांरा।
6. क्षेत्रीय अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. रक्षी पत्रावली।

(जे.एस.दहिया)
उप वन संरक्षक (प्रशा. अरा.)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राज.जयपुर